भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 128

जिसका उत्तर, 03 फरवरी, 2020/14 माघ, 1941 (शक) को दिया गया

बैंकिंग भ्रष्टाचार

128. श्री पशुपति नाथ सिंहः
श्रीमती रंजीता कोलीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बैंकिंग भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता की नीति के कार्यान्वयन के प्रति सरकार पूर्णतः जागरूक और प्रतिबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति के अंतर्गत कौन-से कार्य किए गए हैं और इसके माध्यम से अब तक किस हद तक भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया गया है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त नीति के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): जी, हां। बैंकिंग भ्रष्टाचार तथा धोखाधड़ी की घटनाएं वित्तीय प्रणाली में अनुशासन की कमी तथा विभिन्न हित धारकों के बीच कमजोर ऋण संस्कृति से संभव हुई है। पूर्व में बैंकरों की भूमिका की भी सख्ती से जांच नहीं की गई थी तथा लेखापरीक्षक भी स्वतंत्र रूप से विनियमित नहीं थे। व्यापक सुधारों के माध्यम से वित्तीय प्रणाली में प्रत्येक हितधारक के लिए ऋण संस्कृति में परिवर्तन किया गया है तथा सख्त बनाया गया है जिससे भ्रष्टाचार पर सख्ती से रोक लगाया जाना तथा धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी करना संभव हुआ है।

उपर्युक्त कदमों का प्रभाव भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की जून 2019 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में परिलक्षित होता है। एफएसआर के अनुसार, धोखाधड़ी के लिए पीएसबी के एनपीए के पुराने स्टॉक की प्रणालीगत तथा व्यापक जांच से कई वर्षों के दौरान की गई धोखाधड़ियों का पता लगाने में सहायता मिली है जो विगत वर्षों की तुलना में हाल के वर्षों में सूचित धोखाधड़ियों की घटनाओं की संख्या में वृद्धि से परिलक्षित होती है। इसके अतिरिक्त, घटना की तिथि के आधार पर, आरबीआई को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 1 लाख रुपए तथा इससे अधिक की अंतर्ग्रस्त राशि वाली बैंक धोखाधड़ियों की संख्या में निरंतर कमी आयी है तथा इनमें अंतर्ग्रस्त राशि का विवरण निम्नानुसार हैः

घटना का वित्तीय वर्ष	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
2014-15	2,630	20,005
2015-16	2,299	15,163
2016-17	1,745	24,291
2017-18	1,545	6,916
2018-19	739	5,149

स्रोतः आरबीआई

भारत सरकार ने "भ्रष्टाचार के विरूद्ध शून्य असहिष्णुता" (जीरो टॉलरेंस) की अपनी प्रतिबद्धता के अनुसरण में भ्रष्टाचार से लड़ने हेतु कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:"

(1) पीएसबी सुधार एजेंडा के भाग के रूप में पीएसबी में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) पीएसबी की बोर्ड अनुमोदित ऋण नीतियों में अब संवितरण से पूर्व अपेक्षित स्वीकृति/अनुमोदन तथा लिंकेजों को संबद्ध करना, समूह तुलन-पत्र की जांच करने तथा नकदी प्रवाह की रिंगफेंसिंग करने, परियोजना वित्तपोषण में गैर-निधि तथा अंतिम जोखिम मूल्यांकन को अनिवार्य किया गया है।

(ii) पूरे आंकड़ा स्रोतों में व्यापक सम्यक तत्परता के लिए अन्य पक्ष आंकड़ा स्रोत का प्रयोग किया गया है, इस प्रकार गलत प्रस्तुतीकरण तथा धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न जोखिम को कम किया गया है।

(iii) उच्च मूल्य वाले ऋणों में निगरानी को स्वीकृति की भूमिका से अलग किया गया है और 250 करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों की प्रभावी निगरानी के लिए वित्तीय तथा क्षेत्र विशेष की जानकारी रखने वाली विशेषीकृत निगरानी एजेंसियों को तैनात किया गया है।

(iv) एकबारगी निपटान (ओटीएस) में ससमय तथा बेहतर वसूली के लिए ऑनलाइन आद्योपांत (एंडटूएंड) प्लेटफॉर्म स्थापित किए गए हैं।

(2) पारदर्शी नागरिक हितैषी सेवाएं प्रदान करने तथा भ्रष्टाचार को कम करने हेतु प्रणालीगत सुधार एवं संशोधन। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहल के माध्यम से पारदर्शी ढंग से नागरिकों को कल्याणकारी लाभ का सीधे ही अंत।

(ii) सार्वजनिक प्रापणों में ई-निविदा का कार्यान्वयन करना।

(iii) ई-शासन का आरंभ तथा प्रक्रियाओं और प्रणालियों का सरलीकरण करना।

(iv) सरकारी ई-बाजार स्थल (जेम) द्वारा सरकारी प्रापणों की शुरुआत करना।

(3) रिश्वत देने के कृत्य को स्पष्ट रूप में अपराध घोषित कर भ्रष्टाचार से निपटने में आमूलचूल परिवर्तन लाने हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 को दिनांक 26.07.2018 को संशोधित किया गया।

(4) इन अनुदेशों में, सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें मुख्य प्रापण गतिविधियों में सत्यनिष्ठा समझौता, लोकपाल संस्था का परिचालन तथा भारत सरकार में समूह 'ख' अराजपत्रित एवं समूह 'घ' पदों की भर्ती में साक्षात्कारों को समाप्त करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, पीएसबी के पास अनियमितता में संलिप्त कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु बोर्ड अनुमोदित कर्मचारी जवाबदेही नीति तथा विनियम हैं। जब कभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों के संबंध में कोई अनियमितता पाई जाती है तो बैंक यथा प्रयोज्य नियमों/विनियमों के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से, जब कभी अपेक्षित हो, कार्रवाई आरंभ करता है; और गलितयों की गंभीरता के आधार पर चूक करने वाले कर्मचारियों को समुचित दण्ड दिया जाता है तथा पीएसबी द्वारा संगत सेवा नियमों/विनियमों के आधार पर कार्रवाई की जाती है।

(घ): सीबीआई ने सूचित किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश पर सीबीआई के भ्रष्टाचार संबंधी मामलों के विचारण हेतु 02 अवसरों पर 92 (70+22) अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की मंजूरी दी गई है तथा आज की स्थिति के अनुसार 92 विशेष न्यायालयों में से 90 न्यायालय परिचालनरत हैं।

*****